SA-570 (R)
व्यवसाय की
चलू अवधारणा

प्रश्नः 01 चालू व्यवसाय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तथा इसके सम्बन्ध में अंकेक्षक के क्या दायित्व हैं?
उत्तरः AS-1 के अनुसार चालू व्यवसाय की अवधारणा 1 आधारभुत लेखांकन मान्यता है इसके अनुसार एक उपक्रम सामान्यतः सुदीर्घकालीन संस्थान के रूप में देखा जाता है जो कि आगे के भविष्य में लगातार चलता रहता है यह माना जाता है कि उपक्रम का न तो इरादा है और न ही समापन की कोई आवश्यकता है अथवा न ही उपक्रम के महत्वपूर्ण व्यवसाय बन्द किए जाएगे। सामान्य उद्देश्य के वित्तीय विवरण सुर्दीघकालीन संस्थान के आधार पर तैयार किए जाने है। इसका आशय यह है कि जब तक प्रबन्ध का इरादा न हो तब तक उपक्रम का न तो समापन होगा अथवा न ही उसका संचालन बन्द किया जाएगा अथवा ऐसा करने का न ही कोई वास्तविक विकल्प है और उपक्रम चलता रहेगा। भारत में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2AA) अन्य बातों के साथ–साथ यह आवश्यक करती है कि इस धारा के अर्न्तगत निर्देशक अपने निर्देशक उत्तरदायित्व के विवरण में एक विशिष्ट अभिव्यक्ति दे कि निर्देशकों ने सुर्दीर्घकालीन संस्थान के आधार पर वार्षिक खातों को तैयार किया है अतः यह प्रबन्ध का दायित्व है कि वह वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करते समय सुर्दीर्घकालीन संस्थान की मान्यता को ध्यान में रखे। SA-570(R) के अनुसार सुदीर्घकालीन संस्थान के सम्बन्ध में अंकेक्षक का उद्देश्य है कि वह–

A. प्रबन्ध द्वारा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती तथा तैयारी में उपयोग में लाए गए सुदीर्घकालीन संस्थान की मान्यता की उपयुक्तता के बारे में पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करे।
B. प्राप्त किए गए अंकेक्षण साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले की क्या घटनाओं तथा परिस्थितियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो उपक्रम की सुदीर्घकालीन संस्थान की सक्षमता पर महत्वपूर्ण संदेश उत्पन्न कर सकते है।
C. अंकेक्षक की रिर्पोट के लिए उलझनों को सुनिश्चित करे।

प्रश्नः 02 एक अंकेक्षण के दौरान सुदीर्घकालीन संस्थान के सम्बन्ध में कौन से चरणो का समावेश होता हैं?
उत्तरः चरण–1 प्रबन्ध से पूछताछः–
अंकेक्षक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या प्रबन्ध ने उपक्रम की सक्षमता के सम्बन्ध में पहले से ही प्रारंभिक निर्धारण का निष्पादन कर लिया था कि उपक्रम एक सु–दीर्घकालीन संस्थान है तथा यदि प्रबन्ध ऐसी घटनाओं तथा परिस्थितियों को पहचान लेता है कि जो व्यक्तिगत रूप या सामूहिक रूप से उपक्रम की सुदीर्घकालीन संस्थान की मान्यता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है तो अंकेक्षक ने उनके लिए क्या योजना बनाई हैं। यदि प्रबन्ध सु–दीर्घकालीन संस्थान के बारे में सुनिश्चित है तो अंकेक्षक को प्रबन्ध के इस निर्धारण का मूल्यांकन कर लेना चाहिए।
चरण – 2 जब ऐसी घटनाओं तथा परिस्थितियों को पहचान लिया जाता है जो उपक्रम की सुदीर्घकालीन मान्यता की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकते है :–
इस दशा में अंकेक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लेने चाहिए कि क्या अतिरिक्त अंकेक्षण प्रविधियों के निष्पादन के द्वारा एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है अथवा नहीं
इस प्रक्रिया में शामिल है :–

(A) अंकेक्षक को प्रबंध से सुदीर्घकालीन संस्थान के बारे में निर्धारण करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए
(B) अंकेक्षक को सुदीर्घकालीन संस्थान के निर्धारण के सम्बन्ध में भविष्य की गतिविधियों के लिए प्रबन्ध के नियोजन का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या इन योजनाओं के परिणामस्वरूप स्थितियों में सुधार हुआ है तथा क्या अंकेक्षक के नियोजन उन परिस्थितियों में उचित है।
(C) जब एक उपक्रम एक रोकड़ प्रवाह के पूर्वानुमान तैयार किए है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक को प्रबंधक को भावी योजनाओं के संबंध में विश्लेषण करते हुए देखना होगा कि क्या उनके इसे अनुमान उचित है।
(i) उस अंर्तनिहीत (Underlying) डाटा की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना जिन्हें अनुमानों को तैयार के हेतु उत्पन्न किया गया है।
(ii) यह सुनिश्चित करना कि क्या अनुमान में शामिल मान्यताओं के लिये यह एक पर्याप्त समर्थन है।
(D) इस बात का ध्यान रखना कि क्या उस डाटा के लिये कोई अन्य अतिरिक्त तथ्य तथा सूचनाएँ उपलब्ध हो सकती हैं जिन पर प्रबंध ने अपनी मान्यताएँ ली हैं।

CA Aseem Trivedi

(E) प्रबंध अथवा जहॉ उचित हो वहॉ प्रबंध के लिये प्रभारित व्यक्तियों से भविष्य की गतिविधियों के लिये उनकी योजनाओं तथा उन योजनाओं की उचितता के संबंध में लिखित विवरण की प्रार्थना करना।

चरण – 3 अंकेक्षण निष्कर्ष तथा प्रतिवेदन :–

Case – 1

सुदीर्घकालीन संस्थान की मान्यता का प्रयोग उचित किंतु एक सारवान अनिश्चितता की विद्यमानता :–

इस दशा में अंकेक्षक को ऐसी अनिश्चितता का वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण करना चाहिये। वित्तीय विवरण प्रकटीकरण की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने में यह निश्चित करना शामिल हो सकता है कि क्या सूचनायें पढ़ने वाले के ध्यान को निश्चित रूप से इस ओर लाती है कि इस बात की संभावना है कि एक उपक्रम सामान्य व्यवसाय की प्रक्रिया में अपनी संपत्तियों को वसूल करने तथा अपने दायित्वों का भुगतान करने में असफल हैं। यदि इस प्रकार का प्रकटीकरण किया जाता है तो अंकेक्षक एक गैर–मर्यादित राय देगा परंतु उसके लिये यह आवश्यक है कि वह विषय को

इसके अतिरिक्त दूसरी तरफ यदि उपरोक्त आवश्यकतानुसार सारवान अनिश्चितता का प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, अंकेक्षक अपनी रिर्पोट को मर्यादित करेगा यदि उचित हो तो एक विपरीत राय भी दी जा सकती है।

Case – 2

सुदीर्घकालीन संस्थान की मान्यता का प्रयोग अनुचित :–

यदि वित्तीय विवरणों को एक सुदीर्घकालीन संस्थान की मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है किंतु, अंकेक्षक की राय में प्रबंध का वित्तीय विवरणों में सुदीर्घकालीन संस्थान की मान्यता का उपयोग अनुचित है तो अंकेक्षक एक विपरीत विचार अभिव्यक्त करेगा, बिना इस बात का ख्याल रखे कि क्या वित्तीय विवरण प्रबंध की सुर्दीर्घकालीन संस्थान की मान्यता के प्रयोग की अनुउचितता को शामिल करता है अथवा नहीं। परंतु यदि प्रबंध इस तथ्य को अभिव्यक्त करता है तथा वित्तीय विवरण समापन (Liquidation) के आधार पर तैयार किये जाते हैं (सभी संपत्तियों तथा दायित्वों को उनके वसूली मूल्य पर लाकर) तो अंकेक्षक उन वित्तीय विवरणों पर एक गैर–मर्यादित विचार व्यक्त करने में सक्षम हो सकता है बशर्ते उसमें पर्याप्त प्रकटीकरण हों। या वह यह भी कर सकता है कि बिना रिर्पोट का मर्यादित करे उस मामलें को अपनी रिर्पोट में स्पष्ट कर दें।

चरण – 4 प्रबंध के लिए प्रभारित व्यक्तियों के साथ संप्रेषण :–

जब प्रबंध के लिये प्रभारित व्यक्ति, उपक्रम के प्रबंध के प्रबंध में शामिल हैं अंकेक्षक को उन घटनाओं तथा परिस्थितियों के बारे में प्रबंध के लिये प्रभारित व्यक्तियों के साथ संप्रेषण करना चाहिये जो उपक्रम की सुदीर्घकालीन संस्थान की मान्यता की योग्यता के प्रति महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकते है। प्रबंध के लिये प्रभारित व्यक्तियों के साथ संप्रेषण में निम्न का समावेश होता है :–

(a) क्या घटनायें अथवा परिस्थितियॉ एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता को स्थापित करती हैं?

(b) क्या वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण में सुदीर्घकालीन संस्थान की मान्यता का प्रयोग उचित हैं?

(c) वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की पर्याप्तता।

CA Aseem Tripathi